(घ) संक्रमण रोगों पर नियन्त्रण और रोकथाम;

(ङ) उन्नत घास तथा पशु चारे की शुरूआत और उनके भण्डारण के लिए उपलब्ध कराना;

(च) प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा पशु औषधालयों की शुरूआत तथा अनुरक्षण;

(छ) दूध आपूर्ति उपलब्ध कराना;

(ज) आवारा पशुओं की समस्या का समाधान ।

8. ग्रामीण तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में :–

रोजगार बढ़ाने तथा लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से कुटिर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को प्रोतसाहन तथा विशेष रूप से :–

(क) उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण;

(ख) शिल्पकारों के कौशल में सुधार;

(ग) उन्नत उपकरणों का प्रचार;

(घ) खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड तथा अन्य अखिल भारतीय संगठनों द्वारा चलाई जा रही कुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों की स्कीमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

9. सहकारिता के क्षेत्र मेः–

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने तथा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों के आयोजन तथा प्रोत्साहन के लिए और विशेष रूप से :–

(क) ऋण, बिक्री, उद्योग, सिंचाई और कृषि के लिए बहुद्देश्य सहकारी समितियों की स्थापना तथा प्रोत्साहन के लिए; और

(ख) बचत, लघु बचत और बीमा स्कीमों के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन ।

10. महिला कल्याण के क्षेत्र में :–

महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन और महिला तथा बाल कल्याण केन्द्रों, शिक्षा केन्द्रों, कला केन्द्रों तथा सिलाई–कढ़ाई केन्द्रों का अनुरक्षण ।